न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—कृष्ण गोपाल जोजन आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 194/2018 **दायर दिनांकः 06/11/2018**

उनवान

1. शिवदयाल उर्फ शिवजी उम्र 48 वर्ष पुत्र गोरीलाल जाति धाकड़ निवासी मोठपुर तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादी

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, आर.टी.एक्ट</u>

उपस्थिति :—

वादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

प्रतिवादीः— विद्वान अभिभाषक श्री भगवान तिवारी।

आदेश दिनाक : 17/06/2019

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, आर.टी.एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल मोठपुर तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 428 ख0नं0 329 का रकबा 0.52 है0 ख0नं0 535 का रकबा 2.10 है0, ख0नं0 791 का रकबा 0.11 है0, ख0नं0 797 का रकबा 0.19 है0 कुल किता 4 का कुल रकबा 2.92 है0 आराजी वादी के शामलाती खाते दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 वाद पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में वादी का नाम शिवजी पुत्र गोरीलाल दर्ज है व वादी के आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बडौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कवाई का प्रमाण पत्र व ग्राम एवं माल मोठपुर में स्थित वादी के खाते की अन्य आराजी खाता संख्या 423 का ख0नं0 167/2499 का रकबा 0.97 है0 में वादी का नाम शिवदयाल दर्ज है। जिसकी छाया प्रतियां वाद पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में वादी का बोलता नाम शिवजी दर्ज कर दिया गया था जबकि वादी का वास्तविक नाम शिवदयाल वाद पत्र की मद नं0 2 में वर्णित दस्तावेज में है। जो वादी का सही नाम है। वाद पत्र की मद नं0 1 में

वर्णित आराजी में वादी गलत नाम शिवजी दर्ज होने के कारण वादी अपनी आराजी का कृषि विकास कार्य नही करवा पा रहा है तथा कृषि ऋण व अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है। बिना सहायता न्यायालय वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में वादी का नाम शिवजी के स्थान पर शिवदयाल दर्ज करवाया जाना सम्भव नही है। अगर वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में वादी का वास्तविक नाम शिवदयाल दर्ज नही किया गया तो वादी को अपरिमित क्षति होगी व अपने हक अधिकारों से वंचित होना पडेगा तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नही ले पावेगा। जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना सम्भव नही होगी। अस्तु वादी प्रतिवादी कम 1 से वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में शिवजी के स्थान पर सही नाम शिवदयाल दर्ज करवाने का अधिकारी है। वाद कारण प्रथमबार दिनांक 02.10.2018 को नकल प्राप्त करने व अन्तिम बार दिनांक 15.10.2018 को तहसीलदार साहब अटरू को नाम दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र देने पर उन्होने माननीय न्यायालय को इस वाद को सुनने का क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ठ के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश है। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है।

अतः माननीय न्यायालय मे वादी वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी निम्न आशय की सादिर फरमाई जावें किः–

(अ) वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में वादी का नाम शिवजी के स्थान पर शिवदयाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज करने के आदेश प्रतिवादी को प्रदान करने की कृपा करें।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावे।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी की तलबी जर्ये सम्मन की गई, प्रतिवादी पेरोकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि शिवजी के स्थान पर शिवदयाल नाम दुरस्त करने में कोई आपत्ति नही है।

अभिभाषक वादी को सुना अभिभाषक वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अनुसार कथन किया तथा निवेदन किया कि ग्राम मोठपुर की खाता संख्या 428 किता 4 रकबा 2.92 है0 में वादी का

शामलाती खाते में शिवजी पुत्र गोरीलाल के स्थान पर शिवदयाल पुत्र गोरी लाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान करें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया वादी द्वारा वाद पत्र के समर्थन में वादी का आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र बडौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कवाई का प्रमाण पत्र में वादी का नाम शिवदयाल पुत्र गोरीलाल व ग्राम माल मोठपुर की खाता संख्या 423 की किता 1 रकबा 0.97 है0 में शामलाती खाते में शिवदयाल पुत्र गोरीलाल दर्ज है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद न्यायहित में स्वीकार योग्य है।

—:क्रियात्मक आदेश:—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम मोठपुर की खाता संख्या 428 किता 4 रकबा 2.92 है0 में शिवजी पुत्र गोरीलाल के स्थान पर शामलाती खाते में शिवदयाल पुत्र गोरीलाल दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17.06.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्ण गोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री कृष्णगोपाल जोजन (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 194/2018

उनवान

1. शिवदयाल उर्फ शिवजी उम्र 48 वर्ष पुत्र गोरीलाल जाति धाकड़ निवासी मोठपुर तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, आर.टी.एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....X................. रूबरू...............X..............................

बहाजिर :–

वादीगण:– विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

प्रतिवादी:– विद्वान अभिभाषक श्री भगवान तिवारी।

मिनजानित मुदई रूबरू ....X...

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम मोठपुर की खाता संख्या 428 किता 4 रकबा 2.92 है0 में शिवजी पुत्र गोरीलाल के स्थान पर शामलाती खाते में शिवदयाल पुत्र गोरीलाल दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करें।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X...................... मुबालिक ....X................ बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X.......................... .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X.......................... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 17.06.2019 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishna Gopal Jojan
Date: 2019.07.23 12:07:03 IST
Reason: SelfAttested
Location: